

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3301
सोमवार, 9 अगस्त, 2021/18 श्रावण, 1943 (शक)

ग्रामीण/शहरी बेरोजगार दर

3301. डॉ. कलानिधि वीरास्वामी:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश के भीतर ग्रामीण/शहरी बेरोजगारी दर का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में बेरोजगारी दर वर्ष 2012 में दो प्रतिशत के मुकाबले वर्तमान में 12 प्रतिशत है;
- (ग) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि देश में बेरोजगारी दर खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (घ) सरकार बेरोजगारी दर को किस प्रकार कम करेगी?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग): रोजगार/बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा आयोजित किए जाने वाले आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से 2017-18 से इकट्ठे किए जा रहे हैं। 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान आयोजित किए गए पीएलएफएस के परिणामों के अनुसार, देश में सामान्य स्थिति आधार पर 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की बेरोजगारी की दर नीचे दी गई हैं:

बेरोजगारी दर (% में)			
पीएलएफएस (वर्ष)	ग्रामीण	शहरी	योग
2017-18	5.3	7.7	6.0
2018-19	5.0	7.6	5.8
2019-20	3.9	6.9	4.8

2017-18 से पूर्व, एनएसओ द्वारा रोजगार और बेरोजगारी पर पंचवर्षीय श्रम बल सर्वेक्षण आयोजित किए जाते थे। ऐसा पिछला सर्वेक्षण वर्ष 2011-12 के दौरान एनएसएस, 68वां दौर था। इस सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार, देश में सभी उम्र के व्यक्तियों की बेरोजगारी दर उपलब्ध सीमा तक 2.2% थी। हालांकि, पीएलएफएस में सर्वेक्षण पद्धति और नमूना चयन और रोजगार और बेरोजगारी पर पंचवर्षीय श्रम बल सर्वेक्षण में सर्वेक्षण पद्धति और नमूना चयन अलग-अलग हैं, इसलिए, दोनों के परिणाम तुलनीय नहीं हैं।

(घ): भारत सरकार ने देश में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए अनेक पहले की हैं। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ-साथ नए रोजगार के सृजन हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने तथा रोजगार की पुनः बहाली हेतु 1 अक्टूबर, 2020 से प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत लाभार्थी के पंजीकरण की अंतिम तिथि को 30 जून, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दिया गया है।

पीएम स्व-निधि योजना ने रेहड़ी-पटरी वालों को कोविड पञ्च अवधि के दौरान फिर से अपना व्यापार शुरू करने में सहायता करने के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए 10,000/- रु. तक का गैर-जमानती कार्यकारी पूंजीगत ऋण प्रदान करने के कार्य को सरल बनाया है।

सरकार द्वारा स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) कार्यान्वित की जा रही है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, रोजगार सृजन को बढ़ाने के लिए, सरकार देश में पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है और प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) तथा प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) जो कि क्रमशः सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा संचालित की जा रही हैं, जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय करना।

इन पहलों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, जीर्णोद्धार एवं शहरी रूपांतरण हेतु अटल मिशन, सभी के लिए आवास, अवसंरचना विकास तथा औद्योगिक गलियारे जैसे सरकार के फ्लैगशीप कार्यक्रमों में उत्पादक रोजगार के अवसर सृजित करने की संभावना है।
